



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032021-226068
CG-DL-E-24032021-226068

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1201]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 23, 2021/चैत्र 2, 1943

No. 1201]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 23, 2021/CHAITRA 2, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2021

का.आ. 1298(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमशः नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट समझा जाएगा।

तालिका

क्र.सं .	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
597	516एफ	आंध्र प्रदेश राज्य में अन्नावरम के निकट रारा - 16 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर काकीनाड़ा एसईजेड, नागुलापल्ली, वाकलपुड़ी लाइट हाउस को जोड़ने वाला और वाकलपुड़ी लाइट हाउस से आचमपेटा तक रारा-216 के साथ अपने जंक्शन तक के स्पर सहित काकीनाड़ा एंक्रोज पट्टन क्षेत्र में समाप्त होने वाला राजमार्ग।

598	516डब्ल्यू	आंध्र प्रदेश राज्य में चिल्लाकुरु क्रॉस के निकट रारा – 16 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर मुथयालपाडु, टुपूरु कानुपुरु को जोड़ने वाला और कृष्णापट्टनम पत्तन (साउथ गेट) पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
-----	------------	--

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और उसके पश्चात अधिसूचना संख्या का. आ. 1146(अ), दिनांकित 11 मार्च, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14012/3/2021-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2021

S.O. 1298(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
597	516F	The highway starting from its junction with NH-16 near Annavaram connecting Kakinada SEZ, Nagulapalli, Vakalapudi Light House and terminating at Kakinada Anchorage port area including spur from Vakalapudi Light House to its junction with NH-216 at Achhampeta junction in the state of Andhra Pradesh.
598	516W	The highway starting from its junction with NH-16 near Chillakuru Cross. connecting Muthayalapadu, Tupru Kanupuru and terminating at Krishnapatnam port (South Gate) in the state of Andhra Pradesh.

Footnote: The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O. 689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 1146 (E), dated 11th March, 2021.

[F.No. NH-14012/3/2021-P&M]

RAJESH GUPTA, Director